



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, जून 12—जून 18, 2016, शनिवार/ज्येष्ठ 22—ज्येष्ठ 28, 1938
No. 14] NEW DELHI, JUNE 12—JUNE 18, 2016, SATURDAY/JYAISTHA 22—JYAISTHA 28, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 10 जून, 2016

का.नि.आ. 26. —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में मास्टर क्राफ्ट्समैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, मास्टर क्राफ्ट्समैन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.** —उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.** —भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. —वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त किसी पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. —जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. —इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मास्टर क्राफ्ट्समैन	59* (2016) *कार्य- भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); (ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति के द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति के आधार पर।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा।		
(11)		
प्रोन्नति : ट्रेड्समैन (अति कुशल श्रेणी -I) जिन्होंने वेतन बैंड 1, 5200-20200/- रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में नियमित आधार पर छः वर्ष की सेवा की हो।		
टिप्पण 1 : सभी पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित विभागीय व्यावसायिक कौशल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करनी होगी।		

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे ट्रेड्समैन या इसके समतुल्य :-

(क) (i) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु+ ग्रेड वेतन 2800/-रु या इसके समतुल्य में मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में छः वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10 वीं) उत्तीर्ण; और

(ii) विनिर्दिष्ट ट्रेड में मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण-पत्र या रक्षा सेवाएं ट्रेड्समैन पाठ्यक्रम किया हो जो कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र द्वारा यथा अनुमोदित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के समतुल्य हो;

(iii) संबंधित विषय में पाँच वर्ष का अनुभव।

या

(i) संबंधित विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(ii) संबंधित विषय में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी हो) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी हो) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी हो) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी हो) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी हो) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :- (1) कमान अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन स्कंध (शस्त्र), खमरिया -अध्यक्ष (2) वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से संयुक्त निदेशक -सदस्य (3) वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के किसी क्षेत्रीय स्थापना से उपनिदेशक -सदस्य	अल्पकालिक संविदा आधार पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के समय पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. 4741/भ.नि. /समूह 'ख' (औद्योगिक पद)/ डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी (एच ए एल)]
 इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 10th June, 2016

S.R.O. 26.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Master Craftsman in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Master Craftsman (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc** - The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Master Craftsman	59* (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs 9300-34800/ plus grade pay of Rs 4200/	Selection
Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees.
(6)	(7)			(8)
Not applicable	Not applicable			Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for promotees	(i) 75 per cent by promotion failing which by deputation (including short term contract); (ii) 25 per cent by deputation (including short term contract) failing which by promotion.	Promotion : Tradesman Highly Skilled Grade-I in the pay band-1, Rs. 5200-20200/ plus grade pay of Rs 2800/- with six years regular service in the grade. Note 1:- All eligible candidates are to qualify the Departmental Trade Test conducted by the Departmental Promotion Committee. Note 2:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and

		<p>have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3:- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p>Deputation (including short term contract): Tradesman or equivalent in Central Government or State Government or Union Territories or public sector undertakings or recognized research institutions or universities or semi government or statutory or autonomous organisations :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-1, Rs. 5200-20200/ plus grade pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Matriculation (10th) pass from a recognized Board; and</p> <p>(ii) pass certificate in the specified trade from a recognized Industrial Training Institute (ITI) or Defence Services Tradesman Courses which is equivalent to Industrial Training Institute as approved by the Central Government or State Government or National Council for Vocational Training or National Apprenticeship Certificate,</p> <p>(iii) five years experience in the relevant subject, or</p> <p>(i) three years diploma in relevant discipline,</p> <p>(ii) three years experience in the relevant subject.</p> <p>Note 1 :- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 :- Period of Deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment for deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3 :- For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has</p>
--	--	---

		been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' (Non-Gazetted) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :- (1). Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria -Chairman (2). Joint Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member (3). Deputy Director from any Field Establishment of Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on short term contract basis.

[F. No. 4741/RR/Group 'B' (Industrial posts) /DGAQA/ADM-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 2016

का. नि. आ. 27.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय नौसेना ज्येष्ठ अनुवादक (हिन्दी/अंग्रेजी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1981 को और भारतीय नौसेना कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी/अंग्रेजी) भर्ती नियम 1993 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में अनुवादक कर्मचारिवृन्द (हिन्दी/अंग्रेजी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), अनुवादक कर्मचारिवृन्द (हिन्दी/अंग्रेजी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(1) में विनिर्दिष्ट पदों पर यह नियम लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उक्त पदों से संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, दिसम्बर 18—दिसम्बर 24, 2016, शनिवार/अग्रहायण 27—पौष 3, 1938
No. 30] NEW DELHI, DECEMBER 18—DECEMBER 24, 2016, SATURDAY/AGRAHAYANA 27—PAUSA 3, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II खण्ड 4

PART II Section 4

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2016

का.नि.आ. 55.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, मास्टर क्राफ्ट्समैन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, मास्टर क्राफ्ट्समैन (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, मास्टर क्राफ्ट्समैन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2016 के,-

(1) नियम 2 में "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "पे मैट्रिक्स लेवल" शब्द रखे जाएंगे;

(2) अनुसूची के,

(क) स्तंभ (4) में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पे मैट्रिक्स में लेवल”;

(ii) स्तंभ (4) के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“लेवल-6 (35,400-1,12,400रु);

(ख) स्तंभ (11) के,-

(i) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन,-

(I) “वेतन बैंड 1, 5200-20,200/-रु + ग्रेड वेतन 2800/-रु” शब्दों और अंकों के स्थान पर “पे मैट्रिक्स में लेवल-5” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(II) टिप्पण 3: के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण 3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 के पहले अर्थात् उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी पे मैट्रिक्स के लेवल में की गई सेवा समझा जाएगा।”;

(ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) शीर्षक के अधीन,-

(I) पैरा (क)(ii) में “वेतन बैंड-1, 5200-20,200/-रु + ग्रेड वेतन 2800/-रु” शब्दों और अंकों के स्थान पर “पे मैट्रिक्स में लेवल-5” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(II) टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले अर्थात् उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी पे मैट्रिक्स के लेवल में की गई सेवा समझा जाएगा।”;

(ग) स्तंभ (13) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“किसी अधिकारी की अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।”

[फा. सं. 4741/भ.नि./समूह 'ख' औद्योगिक पद/डीजीएक्यूए/प्रशा.-II/डी (एचएएल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 26, तारीख 10 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE**(Department of Defence Production)****(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)**

New Delhi, the 24th November, 2016

S.R.O. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Master Craftsman (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Master Craftsman (Group 'B' Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Master Craftsman (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2016,-

(1) In rule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale" wherever they occur, the words "the level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in the schedule,-

(a) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:- "Level in the pay matrix";

(ii) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level -6 (Rs 35400-112400)";

(b) in column (11),-

(i) under heading Promotion,-

(I) for the words and figures "in the pay band-1, Rs 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2800/-" the words and figures "in level 5 in the pay matrix" shall be substituted;

(II) for Note 3, the following Note shall be substituted, namely:-

"Note 3:- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016, i.e., the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission."

(ii) under heading Deputation (including short term contract),-

(I) in paragraph (a) (ii), for the words and figures "in pay band-1, Rs 5200-20200/- plus grade pay of Rs 2800/-" the words and figures "in level 5 in the pay matrix" shall be substituted;

(II) for Note 3, the following Note shall be substituted, namely:-

"Note 3:- For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, i.e., the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission."

(c) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Consultation with Union Public Service Commission is not necessary while appointing an officer on short term contract basis.”

[F. No. 4741/RR/Gp ‘B’ Industrial posts/DGAQA/ADM-II/D (HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India, vide S.R.O. 26, dated the 10th June 2016.